

288

भाग III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	नहीं ।	
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है ।	सहमत है ।	
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल धार द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर धार की ए.डी.बी.-6 योजना अंतर्गत टाण्डा-बलवारी मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु प्रभावित वन विभाग की 0.988 हेक्टेयर वनभूमि आवेदक विभाग को उपकरण पर देने की अनुशंसा की जाती है	

दिनांक 28-6-2022
स्थान- इन्दौर

हस्ताक्षर -

नाम - (एच.एस. मोहन्ता)

सरकारी मोहर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं प्रमुख वन संरक्षक
इन्दौर वृत्त इन्दौर